न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

पीठासीन अधिकारीः—सुरेश राव (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्याः—23/2022

जी.सी.एम.एस नं.—2022/44

1. रचना पत्नी सुखराम जाति नायक निवासी 13 एम डी तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)
2. नरेश कुमार उम्र 16 वर्ष सुखराम जाति नायक निवासी 13 एम डी तहसील अनूपगढ़ जरिए कुदरतीवली माता रचना पत्नी सुखराम जाति नायक निवासी 13 एम डी तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)
3. सुरेशकुमार उम्र 13 वर्ष सुखराम जाति नायक निवासी 13 एम डी तहसील अनूपगढ़ जरिये कुदरतीवली माता रचना पत्नी सुखराम जाति नायक निवासी 13 एम डी तहसील अनूपगढ़ श्रीगंगानगर (राज.)

———प्रार्थीगण

बनाम्

1. रतनाराम पुत्र लक्ष्मण राम जाति नायक निवासी 13 एम डी तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)
2. पृथ्वीराज पुत्र रतनाराम जाति नायक निवासी 13 एम डी तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)
3. रोशनी पुत्री सुखराम पत्नी मनोहरलाल जाति नायक निवासी धक्का बस्ती, नई मण्डी घड़साना जिला श्रीगंगानगर (राज.)
4. स्टेट ऑफ राज. जरिये तहसीलदार (राजस्व), अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)
5. उप पंजीयक, अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)
6. जिला कलक्टर श्रीगंगानगर (राज.)

————अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट

वकील उपस्थित—

1. श्री योगेन्द्र कुमार अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से
2. श्री हरेन्द्रसिंह सेखो अधिवक्ता अप्रार्थी सं.—1 ता 3 की ओर से

—:: निर्णय ::—

दिनांकः— 09/06/26

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वाके तहसील अनूपगढ़ के चक 12 एम डी (बी) का मुरब्बा नं.—20 पं.नं.—82/41 का किला नम्बर 19 ता 25 में कुल 1.581 खातेदारी कृषि भूमि अप्रार्थी सं.—1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। उक्त वर्णित कृषि भूमि को इस प्रकरण में आईन्दा वादाधीन कृषि भूमि कहा जावेगा। अप्रार्थी संख्या 1 रिश्ते में प्रार्थी संख्या 1 का ससुर एवं प्रार्थीगण संख्या 2 व 3 का दादा है। प्रार्थीगण के पति/पिता सुखराम पुत्र रतनाराम जाति नायक का स्वर्गवास दिनांक 29.06.2020 को हो गया है, उक्त मृतक सुखराम पुत्र रतनाराम के विधिक वारिस प्रार्थीगण हैं। प्रार्थीया के पति, ससुर, दादा ससुर एवं प्रार्थी सं.—2 व 3 के पूर्वज दादा, परदादा, पिता/अप्रार्थी सं.—1 एवं प्रार्थीगण धर्मतः हिन्दू है जो हिन्दू विधि शासित होते हैं। अप्रार्थी सं.—1 रिश्ते में प्रार्थी संख्या 1 का ससुर एवं प्रार्थी संख्या 2 व 3 का दादा है। उक्त वर्णित वादाधीन कृषि भूमि प्रार्थी सं.—1 के परदादा ससुर एवं प्रार्थी सं.—2 व 3 के परदादा लछमण पुत्र लाधूराम जाति

सुरेश राव
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

नायक की थी जो प्रार्थीगण के परदादा के देहान्त के उंपरात विरास्तन व बंटवारा के आधार पर अप्रार्थी सं.–1 के नाम से दर्ज हुई है। इस प्रकार प्रार्थीगण के पूर्वज/परदादा/परदादा सुसर लछमण की वादाधीन कृषि भूमि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी सं.–1 अप्रार्थी सं.–2 व 3 के संयुक्त हिन्दू खानदान की अविभाजित पैतृक व सहदायिक सम्पत्ति है जो प्रार्थीगण एवं उनके पति/पिता की पैतृक एवं सहदायिक सम्पत्ति है जिसमें प्रार्थीगण का जन्म से हित व अधिकार निहित है। पैतृक एवं सहदायिकी जायदाद वादाधीन कृषि भूमि के प्रार्थीगण सहदायिक एवं मृतक पति/पिता सुखराम के वारिस होने के फलस्वरूप सहदायी, सहस्वामी एवं सह–काश्तकार हैं। उक्त पैतृक व सहदायिकी सम्पति वादाधीन कृषि भूमि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी सं.–1 ता 3 के अधिकार में उनके हिस्सानुसार चली आ रही है और विवादित कृषि पर प्रार्थीगण, अप्रार्थी सं.–1 मा 3 अपने अपने हिस्सानुसार संयुक्त रूप से काबिज काश्त है। प्रार्थीगण ने अप्रार्थी सं.–1 से कई बार आग्रह किया कि संयुक्त हिन्दू खानदान की अविभाजित सहदायिक, व पैतृक सम्पति वादाधीन कृषि भूमि में प्रार्थीगण सहदायिक, सहस्वामी, सह–काश्तकार एवं हकदार है, उक्त सहदायकि सम्पति वादाधीन भूमि में प्रार्थीगण के हिस्सा की भूमि प्रार्थीगण के हिस्सा की भूमि प्रार्थीगण के नाम से अप्रार्थी सं.–1 अंकन करवा देवे ताकि किसी प्रकार कोई विवाद नहीं हो तो अप्रार्थी सं.–1 हमेशा शीघ्र ही ऐसा करने का आश्वासन देकर निरन्तर टामलटोल करता रहा।

अतः प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण प्रार्थना–पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अप्रार्थीगण को इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि अप्रार्थीगण वादाधीन कृषि भूमि वाके तहसील अनूपगढ़ वाके चक 12 एम डी (बी) का मुरब्बा नं.–20 पं.नं.–82/41 का किला नम्बर 19 ता 25 में कुल 1.581 हैक्टर खातेदारी पर प्रार्थीगण के कब्जा काश्त, उपयोग, उपभोग में किसी भी तरीके से दखलन्दाजी करने या करवाने व वादाधीन भूमि को बिना बंटवारा करवाये किसी भी प्रकार से अन्यत्र रहन, बैय, हस्तान्तरित कर खुर्द बुर्द करने या करवाने, तृतीय पक्ष का हित सृजित करने से निषेध रहे और अप्रार्थी उप पंजीयक वादाधीन कृषि भूमि बिना बंटवारा हुए किसी भी तरीके अन्यत्र हस्तान्तण, रहन, बैय आदि का दस्तावेज पंजीकृत करने से निषिद्ध रहे और अप्रार्थीगण वादाधीन कृषि भूमि की रिकॉर्ड व मौका की यथास्थिति बनाये रखें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। हस्तगत प्रकरण में अप्रार्थीगण की ओर से जवाब प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अप्रार्थी के नाम कुल 1.581 हैक्टर खातेदारी कृषि भूमि दर्ज है। पूर्व में उक्त कृषि भूमि अप्रार्थी संख्या 1 व उसके भाईयों खीयांराम, श्रीराम, ओमप्रकाश, माता विद्या व बहिनों गुडडी, सावित्री, सुलोचना, सुमित्रा व सोमा के नाम मुस्तरका खाता में दर्ज थी। इस प्रकार कुल 10 जनों के नाम दर्ज थी व प्रत्येक खातेदार के हिस्सा में 2.5 बीघा कृषि भूमि आती थी। इसके पश्चात दिनांक 02.08.1999 को अप्रार्थी संख्या 1 की माता विद्या, बहिनें गुडडी, सावित्री, सुलोचना, सुमित्रा, सोमा कुल 6 जनों ने अपने अपने हिस्सा की कृषि भूमि जरिये दस्तावेज दस्तबरदारी वा अप्रार्थी संख्या 1 व उसके भाईयों खींयाराम, श्रीराम व ओमप्रकाश के हक में अपना हिस्सा छोड दिया। माता व बहिनों से दस्तबरदारी के जरिये कृषि भूमि प्राप्त होने पर अप्रार्थी संख्या 1 के नाम 1.581 हैक्टर कृषि भूमि दर्ज हुई। इस प्रकार वादाधीन कृषि भूमि पैतृक अथवा सहदायिकी सम्पति की परिभाषा में नहीं आती है। अतः जबाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण मय हर्जा खर्चा के खारिज फरमाया जावे।

सुरेश राव
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

वकील उभय पक्ष की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीगण ने अपनी बहस में अपने प्रार्थना–पत्र में दर्ज अभिवचनों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थीया के पति, ससुर, दादा ससुर एवं प्रार्थी सं.–2 व 3 के पूर्वज दादा, परदादा, पिता/अप्रार्थी सं.–1 एवं प्रार्थीगण धर्मतः हिन्दू है जो हिन्दू विधि शासित होते हैं। अप्रार्थी सं.–1 रिश्ते में प्रार्थी संख्या 1 का ससुर एवं प्रार्थी संख्या 2 व 3 का दादा है। उक्त वर्णित वादाधीन कृषि भूमि प्रार्थी सं.–1 के परदादा ससुर एवं प्रार्थी सं.–2 व 3 के परदादा लछमण पुत्र लाधूराम जाति नायक की थी जो प्रार्थीगण के परदादा के देहान्त के उंपरात विरास्तन व बंटवारा के आधार पर अप्रार्थी सं.–1 के नाम से दर्ज हुई है। इस प्रकार प्रार्थीगण के पूर्वज/परदादा/परदादा सुसर लछमण की वादाधीन कृषि भूमि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी सं.–1 अप्रार्थी सं.–2 व 3 के संयुक्त हिन्दू खानदान की अविभाजित पैतृक व सहदायिक सम्पत्ति है जो प्रार्थीगण एवं उनके पति/पिता की पैतृक एवं सहदायिक सम्पत्ति है जिसमें प्रार्थीगण का जन्म से हित व अधिकार निहित है। प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जावें। प्रार्थीगण द्वारा अपनी बहस के हिन्दु उतराधिकार अधिनियम 1956 धारा 6 पेज नं.–432, 433 लेखक चन्द्रनाथ झा ने पेश किया है जिनका ध्यानपूर्वक अवलोकन कर मार्गदर्शन प्राप्त किया गया जिसमें यह अवधारित किया गया है कि– हिन्दू पुरूष को कोई भी सम्पत्ति जो पिता/दादा से न्यागत होती है वह पैतृक सम्पत्ति है कि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम पिता/दादा की पैतृक सम्पत्ति में पुत्र/पुत्री का जन्म से ही अधिकार होता है। हस्तगत प्रकरण में अप्रार्थी सं.–1 हिन्दु पुरूष है जिसे पिता की विवादित सम्पत्ति न्यागत हुई है जो पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों से प्रथम दृष्ट्या पैतृक सम्पत्ति जाहिर है तथा अप्रार्थी सं.–1 के प्रार्थीगण पौत्र हैं जो उक्त सम्पति में पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों/अभिवचनों से पृथम दृष्टया सहदायिक साबित है। यदि मूल वाद के लभनकाल में विवादित भूमि का अन्य को हस्तारण कर दिया जाता है तो मुकदमेबाजी बढ़ने की सभावना हैं, पक्षकारों के स्वत्व व अधिकार मूल वाद में साक्ष्य आने के उपरांत निर्णीत होगें इसलिए मूल वाद के निस्तारण तक विवादित सम्पत्ति का संरक्षित किया तथा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र धारा 212 आर टी एक्ट स्वीकार किया जाना उचित है।

–:: आदेश ::–

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र 212 आर.टी.एक्ट का स्वीकार किया जाकर वाके चक 12 एम डी (बी) का मुरब्बा नं.–20 पं.नं.–82/41 का किला नम्बर 19 ता 25 में कुल 1.581 हैक्टर खातेदारी कृषि भूमि की राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति मूल वाद के निस्तारण तक पक्षकारान बनाये रखे। निर्णय की प्रति तहसीलदार अनूपगढ़ को पालनार्थ प्रेषित की जावे।

निर्णय मेरे द्वारा आज **दिनांक 07/06/26** को सरे इजलास सुनाया गया।

कार्यालय उप जिला कलक्टर जिला श्रीगंगानगर

सुरेश राव
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़